संख्या- **7/2025/** I/ 1113711/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/266570/2025/लेखा-अ/2025-26/आय-व्ययक, दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष "2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख में से अवशेष धनराशि 750.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि वास्तविक रूप से अपेक्षित हो ।

(3) प्राविधानित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिसके लिए बजट प्राविधान किया गया है।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना / कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति / पुनरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी- 1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष "2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-2-54-X-2025-26-दिनांक : 10-10-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या</u>-_____, <u>तद् दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।